

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 27 / प्र०अ०-भवन / जोन-१ / ११-१२ दिनांक २४/०८/२०११

अनुमति-पत्र

यह अनुमति केवल उ०प्र० नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम १९७३ की धारा १४ व १५ के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर व्यवसायिक भवन बने इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा कर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री प्रमोद कुमार गुप्ता व धूव कुमार गुप्ता पुत्रगण स्व० विजय कृष्ण गुप्ता, श्रीमती सविता गुप्ता पत्नी श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, श्रीमती किरण पत्नी धूव कुमार स्थल साइट नं०-२९ (पाटी) सिविल स्टेशन एम०जी० मार्ग इलाहाबाद जोन संख्या (१) के अन्तर्गत दाखिल व्यवसायिक भवन मानचित्र के प्रस्तावित भाग पर निर्माण की अनुमति निर्मांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

१. उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम १९७३ की धारा १५ (१) के प्राविधिक एवं विकास उपविधि २००८ में उपविधि संख्या-२.१.८ एवं ३.१.८ में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि २००८ में उपविधि संख्या-२.१.८ एवं ३.१.८ में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
२. स्थल पर एक बोर्ड लगाकर स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित करना होगा।
३. स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
४. स्थल पर ०२ लगाना होगा।
५. स्थल का उपयोग स्वीकृत प्रस्तावना के अनुरूप ही करना होगा।
६. बैसमेन्ट में रस्टोर का व्यवसायिक उपयोग नहीं किया जायेगा।
७. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छोपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम १९७३ की धारा १५ (९) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
८. यह स्वीकृति सेंद्रियिक होगी, जिसकी प्रकृति अस्थायी होगी। उपरवर्णित शर्तों को पूर्ण करने तथा पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही मानचित्र की अन्तिम स्वीकृति प्रदान की जायेगी। Conditions से Material/ Substantial विचलन की स्थिति में स्वीकृति स्वतः निरस्त हो जायेगी तथा इस आधार पर की गयी समस्त कार्यवाहियाँ अकृत एवं शून्य समझी जायेगी।
९. यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है। यदि भवन का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार नहीं किया जाता है तो उसे गिरवाया जा सकता है जिसका पूर्ण व्यय भार प्रार्थी पर होगा।
१०. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पट्टी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर १५ दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
११. यह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम १९५६ (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी लॉल्स १९६५) नियम ८२ का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
१२. प्रार्थी को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
१३. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनिवार्य घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा २७ (१) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

२४/०८/२०११
संयुक्त सचिव/ प्र०अ०-भवन
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद।

म/व म/व


प्र०अ० भवन
मित्रवा कॉम्पनी
८/९/११



STILT FLOOR PLAN



UPPER GROUND FLOOR PLAN




TERRACE PLAN



FIRST & SECOND FLOOR PLAN
PART OF LAND



23 M FOUNDATION DETAIL



SECTION AT A-B

PROPOSED COMMERCIAL BUILDING PLAN OF PART OF SITE NO. -29 . CIVIL STATION,M.G.MARG , ALLAHABAD.

SCALE 1:100

OWNER :-
MR. SRI SAVITA GUPTA
W/O SRI RAMOD KR GUPTA
SRI SHRIKAN GUPTA
W/O SRI DURG GUPTA

Architect :-
E. V. K. BHILKA
Ex. Head Civil
Engg. Deptt.
Rajendra Inst.
No. 25, C-1
Wardha
Gondia
Maharashtra
India

FRONT ELEVATION

NOTE :- IN FOUNDATION
LINE CONCRETE R.C.C. SLAB
TOTAL PLOT AREA
ROAD ANDED AREA
COVERED AREA ON SITE
COVERED AREA ON F.F.
COVERED AREA ON S.F.
NOS. OF CAR PARKING
NOS. OF COMM. AREA
COMM. AREA

= 211.68 Sq. M.
= 138.71 Sq. M.
= 63.24 Sq. M.
= 88.71 Sq. M.
= 63.24 Sq. M.
= 6 NOS.
14.50 Sq. M.
195.00 Sq. M.

E. V. K. BHILKA
Ex. Head Civil
Engg. Deptt.
Rajendra Inst.
No. 25, C-1
Wardha
Gondia
Maharashtra
India